Need to review the office memorandum of NIFT requiring scrutiny of documents of employees having degrees from private institutes

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे (रावेर): निफ़्ट मुख्यालय ने 18.05.2023 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया जिसमे उनके द्वारा निफ़्ट के सभी 18 कैम्पसों में कार्यरत सभी कर्मचारियों के भर्ती और पदोन्नति के मामलों की और कागजातों की जांच करने का और इन सभी पिछले 25 सालों से कार्यरत कर्मचारियों को केवल प्राइवेट संस्थान की डिग्री होने के कारण नौकरी से निकालने का असंवैधानिक निर्णय लिया है। इस निर्णय से कम से कम 200-250 लोगों को अपनी नौकरी खोने का खतरा है। मैं निफ़्ट के बोर्ड ऑफ गवर्नर की 3 साल सदस्य रह चुकी हूं और इस दौरान मैंने इस संस्थान का कामकाज बारीकी से देखा और अध्ययन किया है। इस मामले को मैंने इससे पहले भी माननीय वस्त्र मंत्री जी के समक्ष प्रस्तुत किया है। निफ्ट संस्थान ने मुझे एक BOG सदस्य के रूप मे दिनांक 22.09.2021 को लिखित आश्वासन दिया था कि निफ़्ट संस्थान की विशेषता को ध्यान में रखते हुए इस संस्थान में प्राइवेट/फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी से प्राप्त डिग्री/पास लोगों को भी नौकरी देने का प्रावधान था जिसे संस्थान द्वारा 19.11.2020 को नए भर्ती नियम लाकर अद्यतन कर दिया गया। लेकिन इन नए नियमों के लागू होने से पहले तक भर्ती किए गए सभी कर्मचारियों को पुराने भर्ती नियम ही लागू होंगे और जहां तक मुझे ज्ञात है 3 से 4 कैंडिडेट्स को नौकरी भी दी गई है और इसलिए मै माननीय वस्त्र मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि वे निफ़्ट के 18.05.2023 को जारी किये गए ऑफिस मेमोरेंडम की समीक्षा करे और ऐसे सभी लोगों की जिनकी 15 से 25 वर्ष इस इंस्टिट्यूट में सर्विस हुई है तथा सभी ऐसे कैंडिडेट्स जिनको 19.11.2020 RR को फॉलो करते हुए नौकरी में लिया है। इन सभी कर्मचारियों का चयन एक यथावकाश स्थापित प्रक्रिया द्वारा किया गया है उनके साथ न्याय करने के लिए निफ्ट को निर्देशित करने का निवेदन भी माननीय मंत्री जी से करती हूँ।